न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 48/2022 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा— 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

01. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी करेड़ा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

——वादीगण

बनाम

01. श्री सुवालाल पुत्र श्री नन्दा कुमावत उम्र वयस्क निवासी बेलिया का खेड़ा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
02. मथरा लाल पुत्र श्री नन्दा कुमावत उम्र वयस्क निवासी बेलिया का खेड़ा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
03. जगदीश चन्द्र पुत्र लक्ष्मी लाल राठौड़ उम्र वयस्क निवासी करेड़ा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
04. प्रहलाद पुत्र श्री डालचन्द आचार्य उम्र वयस्क निवासी करेड़ा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
05. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा

——प्रतिवादीगण

——

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा — 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—
01 श्री मुकेश जैन — अधिवक्ता वादी
02 एक तरफा कार्यवाही — प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 05

:: निर्णय :: दिनांक 25.11.2024

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 183 — राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम बेलिया का खेड़ा पटवार हल्का करेड़ा द्वितीय भू.अभिलेख निरीक्षक करेड़ा में अंकित आराजी नंबर—8830/7311, कुल किता 1 रकबा—1 बीघा 05 बीस्वा भूमि स्थित है जो वादी के नाम दर्ज है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराने हेतु न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी करेड़ा के समक्ष पेश किया जो प्रकरण संख्या 74/2017 पर दर्ज होकर दिनांक 11.05.2017 को निर्णित हुआ। निर्णय की पालना हेतु दिनांक 23.06.2020 को राजस्व अधिकारियों द्वारा पत्थरगढ़ी की गई जिसमें मौके पर आराजी नंबर—8830/7311 रकबा 0.3162 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 अवैध कब्जा पाया गया। इस पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को पत्थरगढी अनुसार वादी की भूमि से कब्जा छोड़ कर वादी को सिपुर्द करने करने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। इस कारण वाद पत्र पेश कर भू—अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी हेतु प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बेलिया का खेड़ा पटवार हल्का करेड़ा द्वितीय आराजी नंबर 8830/7311, रकबा 01 बीघा 05 बीस्वा पर अवैध कब्जा है। उसे हटाकर वादी को सुपुर्द करने का निवेदन किया।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड़ एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड़ एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। नियत दिनांक को प्रतिवादीगण को विधिवत् तीन मर्तबा रूक रूक कर आवाजें लगाई किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी 01 लगायत 05 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश किए गए। वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारन के अधिवक्त की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, पटवार हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढी आदेश पर तैयार किए गए मौका पर्चा का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट से भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है। अतएवः

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पत्थगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बेलिया का खेड़ा के खता सख्या 75 मे वर्णित आराजी नंबर 8830/7311, रकबा 0.3162 हैक्टर (01 बीघा 05 बीस्वा) पर किये गये अवैध कब्जे का हटाया जाकर वादी को सुिपर्द कराया जावें। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो ।पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा